such as audit of the accounts of Parties and the firms donating funds to political parties;

(b) if so, the details of the proposal; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. But the reforms relating to audit of accounts of the parties and the definition of political parties were included in the proposal sent by the Election Commission earlier and the same had been included in the statement appended to the answer to Starred Question No. 181 dated 17-11-1986. The new proposals forwarded by the Election Commission are set out in the statement appended [*See* Appendix CXLIII, Annexure No 20]

(c) These proposals along with the earlier proposals are proposed to be discussed with the political parties after which a decision will be taken.

टायरों के मूल्य

92. **श्री अजीत सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टायरों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में हर महीने लगभग 2400 टन नायलॉन टायरों की खपत होती है ;

(ग) क्या टायर उत्पादन क्षमता और उनके आयात द्वारा देश में टायरों की मांग पूरी की जा सकती है ; यदि हां, तो मूल्यवृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (घ) आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार टायर के मूल्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान मार्च-अप्रैल, 1985 में 9.5 प्रतिशत, मई, 1986 में 5 प्रतिशत तथा जुलाई, 1987 में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । एसोसिएशन के अनुसार मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण की गई है ।

वर्ष 1986 में देश में आटोमोटिव टायर और ट्यूबों की अधिष्ठापित क्षमता 175.54 लाख थी । वर्ष 1986 में टायरों का उत्पादन 135 लाख था । वर्ष 1989–90 तक टायरों की कुल आवश्यकता का अनुमान 232.93 लाख लगाया गया है जिसके लिए 85 प्रतिशत क्षमता उपयोग के आधार पर लगभग 270 लाख की अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी । इसके मुकाबले में कुल अधिष्ठापित और अनुमोदित क्षमता 310 लाख की है । तथापि टायर उत्पादकों द्वारा उत्पादन संघ के गठन तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को अपनाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं जिसके परिणामस्वरूप बाजार शक्तियों को मनमाना व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जाती है । एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

सरकार का विचार है कि नई क्षमता को प्रोत्साहन देने से आंतरिक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकेगी और टायर उत्पादकों के कथित कदाचारों पर भी रोक लग सकेगी । आवश्यकता पड़ने पर सरकार टायरों के आयात सहित अन्य उपाय करने पर भी विचार करेगी ।

क्षतिग्रस्त रेगुलेटरों का बदला जाना

93. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 13 अप्रैल, 1987 को राज्य सभा में

अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सभी गैस एजेंसियों को इस बारे में कुछ विशेष निदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि ये अपने "नोटिस बोर्डों" पर रेगुलेटरों को बदले जाने के संबंध में जानकारी के सम्पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करें ताकि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करते हुए गैस वितरकों द्वारा उनके 75 रुपये की फीस वसूल करने की बुरी प्रथा को समाप्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टूटे हुए/खराब रेगुलेटरों को मुफ्त में बदला जाता है । यदि यह साबित हो जाए कि वह उपभोक्ता के द्वारा जबरदस्ती घुमाने/लापरवाही से बरते जाने के कारण टूटा है, तो इसके लिए प्रभार (इस समय 75 रुपए) लिया जाता है ।

डबल बाटल कनेक्शनों का आवंटन

94. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पूर्व भाग में रसोई गैस के वितरक अपने उपभोक्ताओं को डबल बाटल कनेक्शन आवंटित करने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिलहाल नई दिल्ली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को ही इस समय डबल बाटल कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित क्षेत्र में डबल बाटल कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक मूर्त रूप दे दिये जाने की संभावना है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में बैक लाग को रोकने के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र सहित उत्तरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को डी बी सी जारी किये जाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा रखी है ।

(ग) दो अन्य कारपोरेशन भी अनुरोध के आधार पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में डी बी सी जारी कर रही है ।

(घ) विभिन्न तेल कम्पनियों के कार्यचालक और व्यापारिक निर्णयों का भिन्न होना कोई असामान्य बात नहीं है ।

(ङ) और (च) उत्पाद/बाटलिंग क्षमता/उपकरणों के उपलब्ध होने पर आशा है, कि इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा 1987 88 की अंतिम तिमाही से अपने उपभोक्ताओं को डी बी सी जारी करना आरम्भ कर दिया जायेगा ।

नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जाने पर रोक

95. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन के आदेशों के अनुसार,